न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा ।

दिनांक–20.11.2026

आदेश

पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेश के अनुसार माह दिसम्बर, 2026 में रिमाण्ड कार्य सम्पादित करने हेतु श्रीमती शहनाज अंसारी, सिविल जज (सी०डि०) कोर्ट सं०–1/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा को नामित किया गया था। उनके द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार व्यक्तिगत कारणों से वह दिनांक–29.12.2026, 30.12.2026 व 31.12.2026 को रिमाण्ड कार्य करने में असमर्थ है तथा उनके स्थान पर **श्रीमती रूचि, सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०/न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)** द्वारा उक्त तिथियों में रिमाण्ड कार्य करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक–29.12.2026, 30.12.2026 व 31.12.2026 को रिमाण्ड कार्य **श्रीमती रूचि, सिविल जज (जू०डि०) एफ०टी०सी०/न्यायिक मजिस्ट्रेट (महिलाओं के विरूद्ध अपराध)** द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

20/11/26

दिनांक –20.11.2026

(अश्वनी कुमार–।)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा ।

प्रतिलिपि :–

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ ।
2. उपरोक्त न्यायालयों को सूचनार्थ ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, इटावा ।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा ।
5. संयुक्त निदेशक अभियोजन इटावा ।
6. अध्यक्ष जिला बार संघ इटावा ।
7. केन्द्रीय कम्पयूटर कार्यालय, जजी इटावा को अपलोड हेतु।
8. C.J.J.D.F.T.C./CAW
9. C.J.S.D. कोर्ट संख्या-01

20/11/26

दिनांक –20.11.2026

(अश्वनी कुमार–।)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा ।